प्रेस नोट

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने थानाधिकारी एवं हवाला एजेन्ट को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया।

जयपुर 25 सितम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय, जयपुर शहर द्वितीय एवं जयपुर देहात की टीम ने बुधवार को संयुक्त कार्यवाही करते हुए रिश्वत देने के आरोप में जिला चित्तौड़गढ़ में बेगू थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह को हवाला के माध्यम से बेगू विधायक श्री राजेन्द्र विधुड़ी को 11 लाख 18 हजार रूपये की रिश्वत देने के आरोप में हवाला एजेन्ट हिमांशु सहित गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक डॉ. आलोक त्रिपाठी ने बताया कि परिवादी विधायक बेगू श्री राजेन्द्र विधुड़ी ने एसीबी में यह शिकायत दी कि मुझे बेगू थानाधिकारी क्षेत्र में अफीम एवं डोडा पोस्त की तस्करी व अन्य गलत तरीकों से कमाए हुए 15 लाख रूपये रिश्वत के रूप में देने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं उसे बेगू थानाधिकारी के पद पर बनाये रखूं एवं अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं होने दूं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अति. पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर प्रथम श्रीमति चंचल मिश्रा एवं अति. पुलिस अधीक्षक जयपुर देहात श्री नरोत्तम वर्मा के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक जयपुर शहर द्वितीय श्री मांगेलाल यादव द्वारा शिकायत का गहनता से अनुसंधान कर उक्त मांग का सत्यापन कर बुधवार को जयपुर एसीबी टीम द्वारा हवाला एजेन्ट हिमांशु को विधायक के आदमी को रिश्वत की राशि देते हुये जयपुर स्थित विद्याधर नगर से गिरफ्तार किया। दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ एसीबी टीम द्वारा बेगू थानाधिकारी विरेन्द्र सिंह को हवाला के माध्यम से बेगू विधायक को 11 लाख 18 हजार रूपये की रिश्वत की राशि हवाला के माध्यम से भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है।